

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

—:—

क्रमांक : 81 / 1256 / 2018 / ब-1 / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25 / 01 / 2019

समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन ।

विषय:—वर्ष 2018—2019 के मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2019, (कंमाक 1 सन् 2019)
के अंतर्गत किये गये प्रावधानों की सूचना ।

—:—

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2019, (कंमाक 1 सन् 2019) दिनांक 23 / 01 / 2019
को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है ।

2 / अधिनियम में सम्मिलित प्रावधानों के उपयोग के पूर्व वास्तविक मासिक आवश्यकता
की समीक्षा तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का आंकलन आवश्यक है । इस हेतु
कृपया संलग्न प्रपत्र के साथ प्रस्ताव भेजे जायें ।

संलग्न: (उपरोक्तानुसार)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 25 / 01 / 2019

पृ० क्र० : 82 / 1256 / 2018 / चार / ब-1
प्रतिलिपि:—

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय,
भोपाल को अग्रेषित ।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम 2019 में सम्मिलित प्रावधानों के संबंध में आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र

वजट शीर्ष	मुख्य वजट में प्रावधान	प्रथम अनुपूरक अनुमान में प्रावधान	पुनर्विनियोजन से वृद्धि(+)/कमी(-)	कुल उपलब्ध प्रावधान (2+3+4)	अद्यतन व्यय (दिसम्बर 2018 तक)	शेष उपलब्ध प्रावधान (5-6)	द्वितीय अनुपूरक अनुमान (अधिनियम क. 1सन् 2019)में प्रावधान	इस वित्तीय वर्ष में कुल आवश्यकता			आवश्यकता का कारण
								जनवरी 2019	फरवरी 2019	मार्च 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

टीप :- कंभाक 9,10,11 का योग कंभाक 7 एवं 8 के योग से अधिक नहीं होना चाहिए।

II कंड़िका I में उल्लेखित आवश्यकता की पूर्ति पुनर्विनियोजन/समर्पण से किये जाने के संबंध में टीप दें।

III यदि कंड़िका I में उल्लेखित वजट शीर्ष केन्द्र समर्थित/अन्य एजेन्सी द्वारा समर्थित हैं, तो ऐसी सहायता राशि/केन्द्रांश प्राप्त होने की स्थिति की जानकारी दें।